बिलासपुर विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
पुराना हाईकोर्ट भवन, बिलासपुर (छ.ग.) 495001,
फोन : 07752–220031, फैक्स 07752–260294, ई–मेल : registrar@bilaspuruniversity.ac.in,
वेबसाईट : www.bilaspuruniversity.ac.in

क्रमांक 2523 /अका./2017 बिलासपुर दिनांक 10/11/2017

प्रति,

अध्यक्ष,शासी निकाय/प्राचार्य,
समस्त सम्बद्ध अशासकीय महाविद्यालय,
बिलासपुर विश्वविद्यालय,बिलासपुर(छ.ग.)

विषयः–परिनियम–28 के प्रावधानानुसार नियुक्ति के संबंध में।
संदर्भः–विश्वविद्यालय पत्र कमांक–1439/अका./2017 बिलासपुर, दिनांक 16–08–2017

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का कृपया अवलोकन करें। जिसके माध्यम से आपके महाविद्यालय में प्राचार्य सहित शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक पदों पर नियुक्ति के संबंध में विभिन्न बिन्दुओं पर ध्यान आकर्षित करते हुये नियुक्ति की कार्यवाही करने हेतु सूचित किया गया था। यथा–

01/ महाविद्यालय शासी निकाय के माध्यम से पद सृजन कर विश्वविद्यालय को सूचित करना।

02/ सृजित पद के अनुरूप रिक्त पदों पर भर्ती के लिये जारी किये जाने वाले विज्ञापन कम से कम तीन समाचार पत्रों, जिसमें एक राष्ट्रीय स्तर एवं एक प्रदेश स्तरीय हो, आरक्षण नियमों का पालन करते हुये रोस्टर के आधार पर प्रकाशित करावें।

03/ विज्ञापन में प्राचार्य एवं शैक्षणिक पदों के लिये यू.जी.सी./एन.सी.टी.ई. तथा अशैक्षणिक पदों के लिये राज्य शासन के नियमानुसार अर्हता एवं वेतनमान का उल्लेख हो।

04/ परिनियम–28 के तहत किसी भी विषय में नियुक्ति के लिए एक पद के विरूद्ध पांच उम्मीद्वारों की उपस्थिति की अनिवार्यता है।

05/ योग्यताधारी उम्मीद्वार को ही साक्षात्कार में शामिल करानें।

वर्तमान में पाया गया है कि संदर्भित पत्र के माध्यम से प्रेषित उपरोक्तानुसार बिन्दुओं में से कुछ बिन्दुओं का पालन महाविद्यालयों द्वारा साक्षात्कार के दौरान नहीं किया जा रहा है। अतः नियुक्ति के संबंध में उपरोक्त के साथ–साथ निम्न बिन्दुओं का भी पालन करना सुनिश्चित करें:–

01/ भर्ती के लिये जारी विज्ञापन की एक प्रति विश्वविद्यालय के वेब–साईट पर अपलोड कराने हेतु अनिवार्यतः उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

02/ शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक पदों पर नियुक्ति के लिये पद विज्ञापित करने के पश्चात् चयन समिति का गठन हेतु उन्हीं विषयों के लिये अनुरोध पत्र प्रस्तुत करें, जिन विषयों में परिनियम के प्रावधानानुसार 05 योग्यताधारी उम्मीद्वार उपलब्ध हों। अन्यथा साक्षात्कार समिति का गठन किया जाना संभव नहीं होगा।

03/ पर्याप्त संख्या में योग्यताधारी उम्मीद्वार की उपलब्ध आधार पर चयन समिति के गठन के पश्चात् प्राप्त उम्मीद्वारों का बायोडाटा साक्षात्कार समिति की बैठक आयोजन तिथि से एक सप्ताह पूर्व निर्धारित प्रपत्र जो विश्वविद्यालय के वेब–साईट पर अपलोड है, में विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

04/ यह भी पाया गया है कि कतिपय महाविद्यालयों द्वारा विश्वविद्याल–स्तरीय चयन समिति का गठन तो करा लिया जाता है। किन्तु चयन समिति के अध्यक्ष/विषय–विशेषज्ञ/सदस्यों से नियुक्ति की कार्यवाही पूर्ण कराने हेतु संपर्क ही नहीं किया जाता है। ऐसे महाविद्यालय यह न समझें कि उनके द्वारा पद विज्ञापित कर देने अथवा चयन समिति का गठन करा लेने से नियुक्ति की प्रकिया में

Scanned by CamScanner

शिथिलता प्राप्त हो जायेगी। महाविद्यालय को हर हाल में समिति के अध्यक्ष/विषय विशेषज्ञ/ सदस्यों से संपर्क कर नियुक्ति की प्रकिया पूर्ण कराना अनिवार्य है।

05/ वर्तमान परिपेक्ष्य में महाविद्यालय के मांग के आधार पर विश्वविद्यालय स्तर पर प्रदत्त चयन समिति की संरचना की कार्यावधी पत्र निर्गमन तिथि से तीन माह के लिये ही मान्य होगा।

अतः महाविद्यालयों को उपरोक्त प्रकिया/निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा। अन्यथा की स्थिति में विश्वविद्यालय द्वारा साक्षात्कार की प्रकिया संपन्न कराना संभव नहीं होगा। जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी महाविद्यालय प्रशासन की होगी।

आदेशानुसार,

कुलसचिव

बिलासपुर, दिनांक 10/11/2017

पृ.कमांक 2524 /अका./2017

प्रतिलिपिः—

01/ कुलपति के निज सहायक को माननीय कुलपति महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

सहायक कुलसचिव(अका.)

Scanned by CamScanner